संख्या-457 /XXVIII-5-2009-42/2003

प्रेषक,

केशव देसिराजु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादूनः दिनांकः 21 मई, 2009

विषयः उत्तराखण्ड के नव सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबन्धन हेतु सम्बंधित जनपदों में सी0डी0ओ0 की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–8प/एन0पी0/आर0के0एस0/सी0एच0सी0 पी0एच0सी0/08–09 दिनांक 14.11.08 तथा उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबन्धन हेतु चिकित्सा प्रबन्धन समिति गठित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 840/XXVIII-05-2006-42/2003 दिनांक 29.09.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के नव सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सीय सेवा की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सन्दर्भगत चिकित्सा संस्थानों के प्रबन्धन हेतु संलग्न सूची के अनुसार सम्बंधित जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाए। अतः इस हेतु यथोल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रेषित, अनुमोदित संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के अनुसार चिकित्सा प्रबन्धन समितियों का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित कर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के यूजर्स चार्जेज के रूप में मिलने वाली समस्त धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति को दी जायेगी । आप अवगत है कि वर्तमान में यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में जमा की जाती है । अतः यूजर चार्जेज के रूप में अतिरिक्त 50 प्रतिशत दी जाने वाली धनराशि को शासन से चिकित्सालय को मिलने वाले अनुदान में से उसी अनुपात में घटा दी जायेगी तथा समिति को चिकित्सालय के संचालनार्थ विभिन्न मानक मदों के स्थान पर एक मुश्त बजट अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त यूजर चार्जेज घटा कर दिया जायेगा। चिकित्सालयों में सृजित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियेां की सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी तथा उन्हे जो वेतन व परिलब्धियां आदि राज्य बजट से दी जा रही है, भविष्य में भी इसी प्रकार दी जाती रहेगी ।

.....2

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–896(1) (P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2008 दिनांकः 17.3.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

संख्या 657 (1)/XXVIII-5-2009-60/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड ।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
10– समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तराखण्ड।
11– वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0
12– गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 657/XXVIII-5-2009-42/2003 दिनांक 19 मई 2009 का संलग्नक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

क्र.स.	जनपद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1.	उत्तरकाशी	1. चिन्यालीसौड़
2.	हरिद्वार	2. खानपुर 3. बहादराबाद 4. मंगलौर
3.	देहरादून	5. रायपुर 6. सहसपुर